

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि० निजी-02/2022...../ श्री मनीष शंकर, तत्कालीन उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा, दानापुर, पटना सम्प्रति सहायक निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 07.02.2022 से दिनांक 28.02.2022 तक कुल 22 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरांत इनके अवकाश लेखा में दिनांक 01.03.2022 तक कुल 271 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

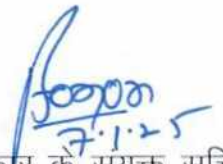
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी-02/2022.....150...../पटना-01, दिनांक-07/01/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/ श्री मनीष शंकर, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई०टी० संबंधक (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर जी जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव